न्यायालय सहायक कलक्टर किशनगढ़, जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारीः- श्रीमति निशा सहारण

राजस्व वाद पत्र सं0 66/2023

मंदिर श्री रघुनाथ जी का मंदिर ग्राम रलावता तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर जरिये पूजारीगण श्याम सुन्दर पुत्र स्व. श्री पूसाराम जाति ब्राह्मण उम्र 64 वर्ष निवासी ग्राम रलावता तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज.) व अन्य। वादीगण

विरूद्ध

1. गजराज सिंह दत्तक पुत्र स्व. श्री नारायण सिंह उम्र बालिग जाति कोठारी निवासी मुख्य बाजार रलावता तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज.) व अन्य। प्रतिवादीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी.सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

दिनांक 13/1/2025

उपस्थितः- वकील वादी श्री परमानन्द शर्मा
वकील प्रतिवादी श्री रामदेव गुर्जर

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि वकील प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से दिनांक 18.07.2023 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया कि हस्तगत वाद मंदिर श्री रघुनाथ, शाश्वत् नाबालिग जी महाराज की ओर से प्रस्तुत किया गया है एवं मूर्ति मंदिर विधि अनुसार शाश्वत नाबालिग की श्रेणी में आती है। यह कि जाप्ता दीवानी के आज्ञापक प्रावधानों अनुसार वाद प्रस्तुत करने की अनुमति माननीय न्यायालय से प्राप्त ही नहीं थी इस अनुसार वाद प्रथम दृष्टया ही सुनवाई नहीं किया जा सकता। यह कि खातौनी सम्वत 2010–2019 में प्रार्थी के पूर्वजों का नाम कॉलम संख्या 5 में बतौर वापीदार चला आ रहा है एवं विधि अनुसार खातेदारी चली आ रही है इसलिए वाद–कारण उत्पन्न होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है अतः श्रीमान से निवेदन है कि वाद/प्रार्थना पत्र विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विपरित होने एवं प्रार्थी के विरूद्व कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त करने की कृपा करें।

दिनांक 19.09.2023 को वकील वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 व 3 के तथ्य उपरोक्तानुसार सही नही होने से अस्वीकार हैं कि प्रश्नगत वाद मन्दिर श्री रघुनाथ जी की ओर से जरिये पुजारीगण माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं जो विधिक प्रावधानो के तहत पेश किया गया हैं। मन्दिर श्री रघुनाथ जी की ओर से पेश प्रश्नगत वाद माननीय न्यायालय में सुनवाई योग्य हैं। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 4 के तथ्य उपरोक्तानुसार सही नही होने एंव गलत व निराधार होने से अस्वीकार हैं। वाद में वर्णित ग्राम रलावता तहसील किशनगढ़ में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 268 व 269 मन्दिर श्री रघुनाथ जी महाराज की हैं उक्त भूमि पर मन्दिर श्री रघुनाथ जी महाराज जरिये पुजारियो का कब्जा काश्त वर्षों से लगातार रूप से चला आ रहा हैं। उक्त भूमि खसरा संख्या 268 के सेटलमेन्ट के खसरा संख्या 1265 थे तथा खसरा संख्या 269 के सेटलमेन्ट खसरा संख्या 1263, 1264, 1266, 1267, 1268 व 1269 थे खतौनी सम्वत 2010 से 2019 में उक्त भूमि जिसके एकीकरण खसरा संख्या पुजारी कल्याणदास वल्द घनश्यामदास साधु साकिन देह के नाम से राजस्व रिकोर्ड में दर्ज थी उक्त के पश्चात चलन में आई एकीकरण जमाबन्दी सम्वत 2019 में मन्दिर श्री रघुनाथ जी महाराज वाके दहे बएतमाम पुजारी कल्याणदास वल्द घनश्यामदास दर्ज थी परन्तु राजस्व कर्मचारियो के द्वारा बिना किसी आदेश के मन्दिर के नाम का राजस्व रिकोर्ड से विलोपित किया गया है। मन्दिर का नाम पुनः राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करवाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किये गये थे परन्तु मन्दिर का नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज नही करने के कारण प्रश्नगत वाद पेश किया जाना आवश्यक होने के कारण प्रश्नगत वाद पेश किया गया हैं। प्रश्नगत वाद पेश करने का वाद कारण उत्पन्न होने के तथ्य व

सहायक कलक्टर

वाद कारण जारी रहने के तथ्य प्रश्नगत वाद के पेरा संख्या 5 में अंकित हैं। अतः उक्त पेरा के तथ्य उपरोक्तानुसार अस्वीकार हैं। अन्तिम पेरा में प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा गलत व निराधार तथ्यो के आधार पर अनुतोष चाहा गया हैं इस कारण स्वीकार किये जाने योग्य नही होकर प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं। वादी का वाद वाद पत्र में अंकित किसी भी पेरा में वर्णित तथ्यो के अनुसार विधि द्वारा वर्जित नही हैं। प्रश्नगत विधिक प्रावधान आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. का निर्णय करते समय केवल मात्र वाद पत्र में अंकित तथ्यो को ही देखा जाना हैं। प्रतिवादी के द्वारा लिये गये किसी बचाव के आधार पर वादी के वाद पत्र को विधि द्वारा वर्जित मानकर खारिज नही किया जा सकता हैं। वादी के द्वारा प्रश्नगत वाद धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया हैं उक्त प्रावधानो के तहत पेश वाद को माननीय न्यायालय को श्रवण करने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं प्रश्नगत वाद में ग्राम रलावता तहसील किशनगढ जिला अजमेर में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 268 जिसके सेटलमेन्ट खसरा संख्या 1265 हैं व खसरा संख्या 269 जिसके सेटलमेन्ट खसरा संख्या 1263, 1264, 1266, 1267, 1268 व 1269 के बाबत प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा बताये गये कथित पूर्वज गोपाल सिंह पुत्र श्री सज्जन सिंह व नारायण सिंह पुत्र श्री राज सिंह के द्वारा वादी श्री रघुनाथ जी महाराज ग्राम रलावता तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर जरिये पुजारी श्री कल्याणदास के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर किशनगढ़ के यहाँ दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 व 83 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया था। न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर के द्वारा नारायण सिंह व गोपाल सिंह के द्वारा पेश उक्त वाद को दिनांक 19.10.1959 को निर्णय पारित कर खारिज कर दिया गया था उक्त निर्णय दिनांक 19.10.1959 के विरूद्ध गोपाल सिंह व नारायण सिंह के द्वारा कमिश्नर अजमेर डिविजन के यहाँ अपील पेश की गई थी जिसको कमिश्नर अजमेर डिविजन के द्वारा दिनांक 03.05.1960 को खारिज कर दी गई थी एंव न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर किशनगढ़ के निर्णय दिनांक 19.10.1959 को बहाल रखा गया था इस पर गोपाल सिंह व नारायण सिंह के द्वारा द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर डिविजन बेंच में पेश की गई थी जिसकी अपील संख्या 03/60/अजमेर हैं। गोपाल सिंह व नारायण सिंह की ओर से पेश द्वितीय अपील को राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा दिनांक 13.11.1962 को स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड कर पुनः सुनवाई कर निर्णय करने हेतु राजस्व अपील अधिकारी जयपुर को भेजी गई थी। इस पर राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के द्वारा प्रकरण को पुनः सुनकर गोपाल सिंह व नारायण सिंह की अपील को दिनांक 02.06.1967 को निर्णय पारित कर खारिज कर न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर किशनगढ़ के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.10.1959 को बहाल रखा था। उक्त के विरुद्ध गोपाल सिंह व नारायण सिंह के द्वारा मूर्ति श्री रघुनाथ जी महाराज ग्राम रलावता तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर जरिये पुसालाल पुत्र श्री छोगालाल पुजारी के विरूद्ध द्वितीय अपील राजस्व मण्डल अजमेर के यहाँ पेश की गई थी जिसके नम्बर 252/1967 हैं। गोपाल सिंह व नारायण सिंह के द्वारा पेश द्वितीय अपील को राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा दिनांक 19.05.1972 को निर्णय पारित कर खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.06.1967 व न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर किशनगढ़ के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.10.1959 की पुष्टि की गई थी इस प्रकार गोपाल सिंह व नारायण सिंह के द्वारा उक्त भूमि के बाबत धारा 88, 89, 91 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत घोषणा करवाये जाने व बेदखली बाबत वाद को न्यायालय के द्वारा खारिज किया जा चुका हैं जिसकी पुष्टि माननीय राजस्व मण्डल के द्वारा भी की जा चुकी हैं। यह कि वाद में वर्णित कृषि भूमि के बाबत प्रतिवादी संख्या 1 के कथित पूर्वाधिकारी के द्वारा मन्दिर श्री रघुनाथ जी महाराज जरिये पुजारी के विरूद्ध उक्त को पक्षकार बनाकर वाद पेश किया गया था जिसके सन्दर्भ में माननीय राजस्व मण्डल के द्वारा दिनांक 19.05.1972 को निर्णय किया गया हैं जिसमें भी मन्दिर रघुनाथ जी महाराज जरिये पुजारी पक्षकार बना हुआ हैं उक्त निर्णय की रोशनी में भी प्रश्नगत वाद वादी का चलने योग्य हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाने की कृपा करावे।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई तथा वाद पत्र, संलग्न दस्तावेजात, न्यायिक नजीरों एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के विभिन्न परिपत्रों का अवलोकन किया गया।

वादीगण ने हस्तगत वाद मन्दिर श्री रघुनाथ जी ग्राम रलावता की ओर से खसरा संख्या 268, 269 की खातेदारी मंदिर श्री रघुनाथ जी के नाम दर्ज करवाने हेतु पेश किया है तथा वादीगण द्वारा वाद कारण दिनांक 18.01.2023 की विज्ञप्ति दिनांक 2023/176 दिनांक 18.01.2023 से 24.01.2023 को वादीगण द्वारा तहसीलदार किशनगढ को आपत्ति दर्ज कराने के समय उत्पन्न हुआ बताया गया है। राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप 06 विभाग के परिपत्र प0क्रः–3(2)राज–6 2007/14 दिनांक 24.05.2007 के बिन्दु संख्या 03 से 05 के अनुसार " मंदिरों को माफी की भूमि जागीर के रूप में भी दी गयी थी तथा राज० भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रभावी होने पर जागीरों के पुर्नग्रहण के साथ–साथ ऐसी भूमियों का निस्तारण इस अधिनियम के प्रावधानों के अर्न्तगत किया गया जिसके अनुसार जो भूमि जागीरों के पुर्नग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास पट्टेद्वार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुए खातेदारी निरन्तर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये है। विभाग द्वारा जारी परिपत्र दि० 13.12.91 के अनुसरण में ऐसी भूमियों को वापिस मंदिर के नाम दर्ज किया जा रहा है, उचित नहीं है। ऐसी भूमि के सबंध में जो मंदिर माफी की थी के सबंध में राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 में प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रिकार्ड में पट्टेदारं, खादिमदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थे वे निरन्तर खातेदार बने रहेगें। धारा 9 निम्न प्रकार हैः–"जागीर भूमियो में खातेदारी अधिकार– जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रारंभ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार पट्टेदार खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें यह अन्तर्हित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक और पुर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त है, दर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहेगें और वह ऐसी भूमि के सबंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा। जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेद्वार अथवा खादिमदार आदि नाम से दर्ज थी उनमें उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त हैं। ऐसी भूमियों को पुनः मंदिरो के नाम दर्ज किया जाना विधिसम्मत नहीं है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्ति्तयों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा।" इसी प्रकार राजस्व मण्डल राजस्थान के आदेश दिनांक क्रमांक : राम/प–63/न्याय/स्था/05/636–689 दिनांक 06.01.2010 में भी स्पष्ट आदेश है कि मन्दिर माफी की भूमि में खातेदारी अधिकारों के संबंध में परिपत्र दिनांक 24.5.07 द्वारा अन्तिम तौर पर यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी कि जागीरो के अधिग्रहण के समय मन्दिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि के नाम दर्ज थी उनमें उन खातेदारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरित अधिकार प्राप्त होगे, ऐसी भूमियों के पुनः मन्दिर के नाम दर्ज कराया जाना विधि सम्मत नही है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा। जिसके क्रम में वादअधीन भूमि में छतर सिंह, नारायण सिंह व गोपाल सिंह का नाम दर्ज है।

राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनःग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 09 के अनुसार जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार पट्टेदार खादिमदार के रूप मे या किसी अन्य रूप में जिसमें यह अन्तर्हित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक और पूर्ण अंतरण के अधिकार प्राप्त है दर्ज है से अधिकार प्राप्त रहेगे और वह ऐसी भूमि के संबंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा। उक्त प्रावधान के अनुसार अर्हता रखने वाले मूर्तिमाफी के काश्तकार को पुर्नग्रहण की दिनांक से कानूनी रूप से खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हो गये। (द) राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 10 के अनुसार माफीदार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 (23) में यथा परिभाषित खुद काश्त भूमि पर माफीदार अर्थात मूर्ति मंदिर को जो शाश्वत अवयस्क विधिक पुरुष है, खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हो गये। इस प्रकार खातेदारी अधिकार प्राप्त भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 में वर्णित अवयस्क की निर्योग्यता (disability) के प्रावधान लागू होते है। जिसके कारण कब्जे के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 के तहत उप कृषक को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं।

खातौनी बन्दोबस्ती सम्वत 2010 से 2019 ग्राम रलावता, तहसील किशनगढ में कॉलम संख्या 04 में मन्दिर का नाम उपभोक्ता में दर्ज है तथा कृषक में छतर सिंह, नारायण सिंह पिता रामसिंह हिस्सा 1/2, गोपाल सिंह हिस्सा 1/2 कौम ओसवाल कोठारी महाजन वापीदार दर्ज है, खातौनी एकीकरण ग्राम रलावता तहसील किशनगढ सम्वत 2019 में कॉलम संख्या 03 में भोक्ता के नाम में मन्दिर का नाम दर्ज है तथा कृषक के नाम में छतर सिंह गोपाल सिंह व नारायण सिंह का नाम दर्ज है। वर्तमान में वादअधीन भूमि नारायणसिंह के नाम दर्ज है, चौसाला गिरदावरी में भी लगातार छतर सिंह गोपाल सिंह व नारायण सिंह का नाम दर्ज है जिससे वादअधीन भूमि पर छतर सिंह, गोपाल सिंह व नारायण सिंह का काबिज काश्त सिद्ध है तथा वादअधीन भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से में खातेदारी चली आ रही है। न्यायिक नजीरों एवं परिपत्रों के आद्योपान्त अवलोकन तथा उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद कारण विहीन होने से न्यायालय उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपने अन्तरनिहित शक्तियों के अधीन प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद कारण विहिन होने से खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13/01/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निशा सहारण (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
किशनगढ (अजमेर)